

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)  
प्रकरण संख्या - 695/2024

अनवान : -

1. सुरेश कुमार पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
2. संदीप कुमार पुत्र धर्मपाल जाति मेघवाल निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
3. विकास कुमार पुत्र बुधराम जाति मेघवाल निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
4. सुमित्रा पत्नी कृष्ण कुमार जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।

- वादीगण

बनाम्

1. सुरेन्द्र पुत्र साहबराम जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर।
2. मदनलाल पुत्र साहराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88-89, राजस्थान काश्त0

अधि0 1955

उपस्थिति :- श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता वादी  
पेराकार राज


निर्णय

दिनांक: 02/9/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 13 केएनएन तहसील नोहर जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 89/90 के कुल खसरे 5 का कुल क्षेत्रफल 1.053 है0 भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 के 131/234 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 के 3559/21060 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

विवादित भूमि वादी संख्या 1 ने जरिये बयनामा दिनांक 19.05.2023 को प्रतिवादी नं. 1 से 0.0506 है0 खरीद की थी व वादी संख्या 2 ने जरिये बयनामा दिनांक 07.06.2022 को प्रतिवादी नं. 1 से 0.0235 है0 भूमि खरीद की थी व वादी संख्या 3 ने जरिये बयनामा दिनांक 07.06.2022 को प्रतिवादी नं. 1 से 0.0270 है0 भूमि खरीद की थी व वादी संख्या 4 ने जरिये बयनामा दिनांक 18.03.2024 को प्रतिवादी नं. 2 से 0.0506 है0 खरीद की थी जो उप पंजीयन नोहर से रजिस्टर्ड है जिस पर वादीगण मुताबिक बैयनामा अनुसार काबिज चले आ रहे है। विवादित भूमि खरीद के समय से लेकर अब तक लगातार वादीगण के कब्जा काश्त में चली आ रही है तथा खरीद के समय से रकम राज अदा करता आ रहा है।

रोही मौजा 13 केएनएन तहसील नोहर जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 89/90 के कुल खसरे 5 का कुल क्षेत्रफल 1.053 है0 भूमि में से 131/234 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 3559/21060 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 खातेदार काश्तकार थे प्रतिवादी नं. 1 ने उपरोक्त भूमि में से 0.0506 है0 भूमि वादी संख्या 1 को जरिये बयनामा दिनांक 19.05.2023 को बेचान कर दिया जरिये बयनामा दिनांक 07.06.2022 को प्रतिवादी नं. 1 ने 0.0235 है0 वादी संख्या 2 को बेचान कर दी व जरिये बयनामा दिनांक

  
उपखण्ड अधिकारी  
नोहर

07.06.2022 को प्रतिवादी नं. 1 ने 0.0270 है० भूमि वादी संख्या 3 को बेचान कर दी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ने जरिये बयनामा दिनांक 18.03.2024 को 0.0506 है० भूमि वादी संख्या 4 को बेचान कर दी लेकिन उक्त भूमि का वादीगण के नाम इन्तकाल दर्ज नहीं हुआ जिससे वादीगण के खातेदारी हकूक का हनन होता है इसलिए वादीगण विवादित भूमि रोही मौजा 13 केएनएन तहसील नोहर जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 89/90 के कुल खसरे 5 का कुल क्षेत्रफल 1.053 है० भूमि में से 0.0506 है० भूमि वादी संख्या 1 के व 0.0235 है० भूमि वादी संख्या 2 के 0.0270 है० भूमि वादी संख्या 3 के एवं 0.0506 है० भूमि वादी संख्या 4 के नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादीगण द्वारा खरीद की गई वादीगण के नाम दर्ज करवा दे तथा शेष भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 अपने नाम यथावत रखले तो प्रतिवादीगण कुछ दिन तो आजकल करते रहे बिल आखिर दिनांक 01.07.2024 को बमुकाम 13 केएनएन तहसील नोहर में कतई इन्कार हो गया यही विनाय मुखास्मत है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं० 1 ता 2 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 को कोई ऐतराज नहीं है। प्रतिवादी संख्या 3 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबन्दी, चित्रप्रति रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 19.05.2023 आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि विवादित भूमि वादी संख्या 1 ने जरिये बयनामा दिनांक 19.05.2023 को प्रतिवादी नं. 1 से 0.0506 है० खरीद की थी व वादी संख्या 2 ने जरिये बयनामा दिनांक 07.06.2022 को प्रतिवादी नं. 1 से 0.0235 है० भूमि खरीद की थी व वादी संख्या 3 ने जरिये बयनामा दिनांक 07.06.2022 को प्रतिवादी नं. 1 से 0.0270 है० भूमि खरीद की थी व वादी संख्या 4 ने जरिये बयनामा दिनांक 18.03.2024 को प्रतिवादी नं. 2 से 0.0506 है० खरीद की थी जो उप पंजीयन नोहर से रजिस्टर्ड है जिस पर वादीगण मुताबिक बैयनामा अनुसार काबिज चले आ रहे है। विवादित भूमि खरीद के समय से लेकर अब तक लगातार वादीगण के कब्जा काश्त में चली आ रही है तथा खरीद के समय से रकम राज अदा करता आ रहा है। रोही मौजा 13 केएनएन तहसील नोहर जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 89/90 के कुल

खसरे 5 का कुल क्षेत्रफल 1.053 है0 भूमि में से 131/234 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 3559/21060 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 खातेदार काशतकार थे प्रतिवादी नं. 1 ने उपरोक्त भूमि में से 0.0506 है0 भूमि वादी संख्या 1 को जरिये बयनामा दिनांक 19.05.2023 को बेचान कर दिया जरिये बयनामा दिनांक 07.06.2022 को प्रतिवादी नं. 1 ने 0.0235 है0 वादी संख्या 2 को बेचान कर दी व जरिये बयनामा दिनांक 07.06.2022 को प्रतिवादी नं. 1 ने 0.0270 है0 भूमि वादी संख्या 3 को बेचान कर दी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ने जरिये बयनामा दिनांक 18.03.2024 को 0.0506 है0 भूमि वादी संख्या 4 को बेचान कर दी लेकिन उक्त भूमि का वादीगण के नाम इन्तकाल दर्ज नहीं हुआ जिससे वादीगण के खातेदारी हकूक का हनन होता है इसलिए वादीगण विवादित भूमि रोही मौजा 13 केएनएन तहसील नोहर जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 89/90 के कुल खसरे 5 का कुल क्षेत्रफल 1.053 है0 भूमि में से 0.0506 है0 भूमि वादी संख्या 1 के व 0.0235 है0 भूमि वादी संख्या 2 के 0.0270 है0 भूमि वादी संख्या 3 के एवं 0.0506 है0 भूमि वादी संख्या 4 के नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नहीं है। अतः वादी का वाद डिकी फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।


हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 13 केएनएन तहसील नोहर जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 89/90 के कुल खसरे 5 का कुल क्षेत्रफल 1.053 है0 भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 के 131/234 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 के 3559/21060 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी का कथन है कि विवादित भूमि वादी संख्या 1 ने जरिये बयनामा दिनांक 19.05.2023 को प्रतिवादी नं. 1 से 0.0506 है0 खरीद की थी व वादी संख्या 2 ने जरिये बयनामा दिनांक 07.06.2022 को प्रतिवादी नं. 1 से 0.0235 है0 भूमि खरीद की थी व वादी संख्या 3 ने जरिये बयनामा दिनांक 07.06.2022 को प्रतिवादी नं. 1 से 0.0270 है0 भूमि खरीद की थी व वादी संख्या 4 ने जरिये बयनामा दिनांक 18.03.2024 को प्रतिवादी नं. 2 से 0.0506 है0 खरीद की थी जो उप पंजीयन नोहर से रजिस्टर्ड है जिस पर वादीगण मुताबिक बैयनामा अनुसार काबिज चले आ रहे है। विवादित भूमि खरीद के समय से लेकर अब तक लगातार वादीगण के कब्जा काशत में चली आ रही है तथा खरीद के समय से रकम राज अदा करता आ रहा है। रोही मौजा 13 केएनएन तहसील नोहर जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 89/90 के कुल खसरे 5 का कुल क्षेत्रफल 1.053 है0 भूमि में से 131/234 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 3559/21060 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 खातेदार काशतकार थे प्रतिवादी नं. 1 ने उपरोक्त भूमि में से 0.0506 है0 भूमि वादी संख्या 1 को जरिये बयनामा दिनांक 19.05.2023

अपरखण्ड अधिकारी  
नोहर

को बेचान कर दिया जरिये बयनामा दिनांक 07.06.2022 को प्रतिवादी नं. 1 ने 0.0235 है0 वादी संख्या 2 को बेचान कर दी व जरिये बयनामा दिनांक 07.06.2022 को प्रतिवादी नं. 1 ने 0.0270 है0 भूमि वादी संख्या 3 को बेचान कर दी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ने जरिये बयनामा दिनांक 18.03.2024 को 0.0506 है0 भूमि वादी संख्या 4 को बेचान कर दी लेकिन उक्त भूमि का वादीगण के नाम इन्तकाल दर्ज नहीं हुआ जिससे वादीगण के खातेदारी हकूक का हनन होता है इसलिए वादीगण विवादित भूमि रोही मौजा 13 केएनएन तहसील नोहर जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 89/90 के कुल खसरे 5 का कुल क्षेत्रफल 1.053 है0 भूमि में से 0.0506 है0 भूमि वादी संख्या 1 के व 0.0235 है0 भूमि वादी संख्या 2 के 0.0270 है0 भूमि वादी संख्या 3 के एवं 0.0506 है0 भूमि वादी संख्या 4 के नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है, वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 को कोई एतराज नहीं है। बैयनामें के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त वाद भूमि वादीगण की खरीदशुदा है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 13 केएनएन तहसील नोहर जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 89/90 के कुल खसरे 5 का कुल क्षेत्रफल 1.053 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि में से 0.0506 है0 भूमि वादी संख्या 1 के व 0.0235 है0 भूमि वादी संख्या 2 के 0.0270 है0 भूमि वादी संख्या 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं इसी खाता में प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज भूमि में से 0.0506 है0 भूमि वादी संख्या 4 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं शेष भूमि यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 02/9/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(पंकज गढ़वाल R.A.S)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर  
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)  
प्रकरण संख्या - 695/2024

अनवान : -

1. सुरेश कुमार पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
2. संदीप कुमार पुत्र धर्मपाल जाति मेघवाल निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
3. विकास कुमार पुत्र बुधराम जाति मेघवाल निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
4. सुमित्रा पत्नी कृष्ण कुमार जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।

- वादीगण

बनाम्

1. सुरेन्द्र पुत्र साहबराम जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
2. मदनलाल पुत्र साहराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।


- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 695 सन 2024 निर्णय दिनांक 02/9/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 13 केएनएन तहसील नोहर जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 89/90 के कुल खसरे 5 का कुल क्षेत्रफल 1.053 है० भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि में से 0.0506 है० भूमि वादी संख्या 1 के व 0.0235 है० भूमि वादी संख्या 2 के 0.0270 है० भूमि वादी संख्या 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं इसी खाता में प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज भूमि में से 0.0506 है० भूमि वादी संख्या 4 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं शेष भूमि यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 02/9/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

  
(पंकज गढ़वाल R.A.S)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर  
नोहर